न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेष सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या /2021

वादी :–

गोपी पुत्री कूड़ाराम
जाति सुथार नि० वरिया तगजी

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. दिनेश कुमार पुत्र कूड़ाराम } जाति सुथार नि० वरिया तगजी
2. कमलादेवी W/o — " — }
3. तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री गोपी स्वंय वादी
2. श्री दिनेश कुमार वगैरह प्रतिवादीगण
3. तहसीलदार पचपदरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक :– 15.12.2021

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काष्त की भूमि खेत खसरा नं 543/47, 544/47, 547/255 व 549/265 रकबा 106.19 बीघा, सरहद मौजा वरियातगजी तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काष्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम मंजू होने से राजस्व रेकर्ड में ~~गोपी~~ मंजू दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राषन कार्ड में वादी का नाम गोपी दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान तथा [illegible] प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना [illegible] राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज मंजू के स्थान पर गोपी सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:28:14 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेष कर दी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम ......मंजू...... के स्थान पर ......गोपी...... दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच ......नायब तहसीलदार पचपदरा...... तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं 543/47, 544/47, 547/255 व 549/265 कुल रकबा ......106-19...... बीघा, सरहद मौजा वरिया तगाजी तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम ......मंजू...... दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत रामसीन एवं तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम ......मंजू...... दर्ज किया गया है वादी का सही नाम ......गोपी...... है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं 543/47, 544/47, 547/255 व 549/265 कुल रकबा ......106-19...... बीघा, सरहद मौजा वरिया तगाजी ......

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ......मंजू...... पुत्री ......भूराराम...... के स्थान पर ......गोपी...... पुत्री ......भूराराम...... खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेषित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक ......15.12.2021...... को कोर्ट केम्प कोर्ट ......वरिया तगाजी...... में मजमे आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:28:14 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

केम्प कोर्ट.......वरिया.......वरिया

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
गोपी पुत्री मूलाराम जाति सुथार निवासी वरिया मगजी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		1. दिनेश कुमार पुत्र मूलाराम 2. कमलादेवी w/o –"– 3. राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– /2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री ....गोपी.... ..वादी स्वंय मिनजानिब श्री ....दिनेश....कुमार.... पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि **वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर** खेत खसरा नं 543/47, 544/47, 547/255, 549/265 रकबा ....106.19.... बीघा, सरहद मौजा ....वरिया मगजी ....

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ....मंजू.... पुत्री ....मूलाराम.... के स्थान पर ....गोपी.... पुत्री ....मूलाराम.... खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....15.12.2021.... को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:28:14 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुम्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अरजीदावा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुम्मनामा मुतफरिक मीजान		